न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 60/2018

अनवान : -

1. श्रीचंद पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खारिया जिला हिसार हाल आबाद जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. रणजीतसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. भजनलाल पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**

वकील श्री रोहताश शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांकः 18.5.18**

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा जिगासरीछोटी के खाता सं0 50/49 के खसरा सं0 275 की 3.5030 है0 खसरा सं0 290 की 17.350 है0, कुल 20.8780 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि दर्ज है जो कि रामजस पुत्र चन्दूराम की खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि हुआ करती थी। रामजस पुत्र चन्दूराम के केवल मात्र एक लड़की पैदा हुई थी। इसलिए रामजस ने अपने सगे दोहिता प्रतापसिंह व जगदीश को हिन्दू रीति-रिवाज के मुताबिक गोद ले लिया। रामजस ने हिन्दू समाज के अनुसार अपने दोनों दोहितों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया व प्रतापसिंह व जगदीश ने रामजस की सेवा चाकरी की थी। रामजस ने प्रतापसिंह एवं जगदीश को मौखिक तौर पर सामाजिक रूप से गोद लिया था। जिसकी कोई लिखापढ़ी नहीं की। परन्तु उसने अपनी कृषि भूमि की वसीयत अपने दोहिता प्रतापसिह एवं जगदीश के पक्ष में वसीयतनामा खुला लिख दिया था। रामजस की मृत्यु के बाद रामजस की कृषि भूमि प्रतापसिंह, जगदीश एवं उसकी बेवा निक्की के नाम से मुताबिक वसीयतनामा एवं विरासतन नामान्तरण दर्ज कर दिया। प्रतापसिंह एवं जगदीश ने अपनी पैतृक सम्पति गांव खारिया की कृषि भूमि में से अपना हक व हिस्सा छोड़ दिया। क्योकि प्रतापसिंह व जगदीश रामजस के दत्तक पुत्र हो गए। इसलिए उनका ग्राम खारिया की भूमि में अधिकार नहीं रहा। उन्हें केवल मात्र रामजस की कृषि भूमि में हिन्दू उतराधिकार के अनुसार पुत्र की हैसियत से अधिकार प्राप्त हो गये। इसलिए उपर वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने नाना रामजस के गोद जाने से प्राप्त हुई है। इस प्रकार उपर वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति है। इसलिए उपर वर्णित कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व का भी प्रतिवादी सं0 1

सहायक कलक्टर
भादरा(हनु.)

के साथ साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है। क्योंकि प्रतापसिंह ने उपर वर्णित कृषि भूमि को न तो खरीद की है व ना ही खुद ने नोतोड़ कर पैदा की है। प्रतापसिंह को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। इसलिए उपर वर्णित कृषि भूमि में वांदी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी श्रीचंद के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम जिगासरीछोटी प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जिगासरीछोटी खाता सं0 50/49 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 2, शपथ पत्र प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी हकदार है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम जिगासरी छोटी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि हेतु जो सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम जिगासरीछोटी प्रदर्श 1 पेश की है उसमे कृषि भूमि रामजस वल्द चन्दुराम से जरिये वसीयतनामा प्रतिवादी सं0 1 को प्राप्त हुई है। सरंपच ग्राम पंचायत अलायला द्वारा जारी वारिस प्रमाण प्रदर्श 4 में प्रतापसिह के वारिसान में पत्नि माना देवी व तीन पुत्र रणजीत सिंह, श्रीचन्द, भजनलाल होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा जिगासरीछोटी के खाता सं0 50/49 के खसरा सं0 275 की 3.5030 है0 खसरा सं0 290 की 17.350 है0, कुल 20.8780 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवदी सं0 1 ता 3 प्रत्येक 1/8–1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 60/2018

अनवान : -

1. श्रीचंद पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खारिया जिला हिसार हाल आबाद जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. रणजीतसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. भजनलाल पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा जिगासरीछोटी के खाता सं0 50/49 के खसरा सं0 275 की 3.5030 है0 खसरा सं0 290 की 17.350 है0, कुल 20.8780 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि मे मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवदी सं0 1 ता 3 प्रत्येक 1/8–1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ